न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 3/2014/डिक्री

राज्य जरिये सरकार तहसीलदार भदेसर

–अपीलान्ट

बनाम

1. बगदीराम पिता काशीराम मेनारिया
   निवासी सरथला तहसील बडीसादडी
2. सत्यवीर सिंह पिता ख्यालीलाल बाबेल
   निवासी कानोड जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 20.06.2013 प्रकरण सं. 75/2013

उपस्थित – 1. श्रीमती वन्दना चोखडा – राजकीय अभिभाषक
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक– 14.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा पारित निर्णय मौजा खोडीप तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 1527/5 रकबा 3 बीघा स्थिता है जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बगदीराम के ह कमे बिलानाम से खातेदारी मे 3/4 हक हिस्सा घोषित किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सत्यवीर सिंह के नाम 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जो अपीलान्ट को सुने बगैर एवं बिना जांच पडताल किये उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वादपत्र को आधार मानकर पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वादपत्र आराजी 1527/5 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर बिना किसी औघोगिक सपरिवर्तन के भूमि को अकृषि मे उपयोग मे ली जाने से उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 03/06/2005 को धारा 177 के तहत दावा तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री किया तथा उक्त डिक्री की प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 03/06/2005 को अपील संख्या 210/05 दिनांक 21/05/2011 को उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की तथा उपखण्ड अधिकारी

निम्बाहेडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03/06/2005 को निरस्त कर पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करे एवं अधीनस्थ न्यायालय विधिक तथ्यो की जांच कर पुनः आदेश पारित करे।

2. अपीलान्ट न्यायालय द्वारा पत्रावली रिमाण्ड करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड की गई पत्रावली को पुनः विधिक तथ्यो की जांच कर एवं पक्षकारो को सुनकर ही आदेश पारित करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिमाण्ड की गई पत्रावली के ऊपर कोई विधिक तथ्यो की जांच नही कर एवं सुनवाई नही कर विधि विरूद्ध अलग निर्णय पारित किया जो विधि के विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय भदेसर मे दुबारा एक नया वाद अन्तर्गत धारा 88,188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय से खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा ही पारित करनी थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र डिक्री करते हुए कृषि से औघोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का आदेश पारित किया जो विधि विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। आराजीयात के गुणावगुण को अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान मे नही रखा एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जो कि प्रतिवादी संख्या 2 अपीलान्ट को नही सुना गया एवं बिना किसी जांच पडताल के विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 20/06/2013 को सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टस के पास इजराय हेतु आया जिस पर अपीलान्टस ने नकल प्राप्त कर अविलम्ब यह अपील न्यायालय मे पेश की है। विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20/06/2013 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. राजकीय अभिभाषक ने मुख्य रूप से अपील मे प्रस्तुत तथ्यो की पुनरावृत्ति की गई एवं मांग की गई कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि यह प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत हुआ है। बगदीराम के प्रकरण को लेकर पूर्व मे भी राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ न्यायालय मे अपील संख्या 210/2005 दिनांक

21/05/2011 को निर्णित हुई थी जिसमे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। श्री बगदीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 75/2013 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर मे पेश किया गया जिसमे प्रतिवादी के रूप मे सत्यवीर सिंह एवं राजस्थान सरकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा खोडीप की आराजी संख्या 1527/5 रकबा 3 बीघा मे वादी/ रेस्पोडेन्ट का हक 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी/रेस्पोडेन्ट की वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे लेने से और बगैर आघोगिक प्रयोजनार्थ सपंरिवर्तन कराने से उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा मे प्रकरण संख्या 205/2004 निर्णय दिनांक 03/06/2005 से वादी/रेस्पोडेन्ट की 3/4 हिस्से की भूमि बिलानाम घोषित किये जाने का आदेश दिया गया था। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के यहां पेश की गई जिसके क्रमांक 210/2005 है जिसमे दिनांक 21/05/2011 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर दिया गया एवं बिलानाम भूमि को निरस्त करते हुए उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की मानी गई व वादी का 3/4 हिस्सा उक्त भूमि मे माना तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 औघोगिक प्रयोजनार्थ मे लेना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रिकार्ड एवं परिस्थितियो को देखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार विधिक भूल नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना सपंरिवर्तन कराये औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग मे लेने के कारण बिलानाम भूमि घोषित कर दी गई थी जो कि राजकीय भूमि नही होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि थी। उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर बिलानाम भूमि पुनः खातेदारी दर्ज करने बाबत् पूर्व मे जारी आदेश दिनांक 21/05/2011 की अनुपालना मे उपखण्ड अधिकारी द्वारा विस्तृत सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक भूल किया जाना नही पाया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 सद्भावना पूर्वक रूपान्तरण राशि नियमानुसार जमा कराने को भी तैयार है। ऐसी स्थिति मे यह न्यायोचित है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से नियमानुसार राशि जमा कराकर सपंरिवर्तन कर दिया जावे। ऐसी सूरत मे उपखण्ड

अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 75/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 20/06/2013 मे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का निर्णय यथावत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार/फैसला अनुसार राशि जमा कराकर एवं सपंरिवर्तन के सम्बन्ध मे कार्यवाही करे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़